



NO. CBSE/AFF./Circular/76030/2023

Dated: 23.06.2023

Circular No. 19/2023

**Circular**

To

All Heads & Managers of the Schools

**Subject: Submission of applications under various categories of affiliation for the session 2024 – 25 in SARAS 4.0- reg.**

The Board had issued Circular No. 17/2023 dated 28.04.2023 regarding submission of applications under various categories of affiliation for the session 2024 - 25 in SARAS 4.0 portal.

In this connection, the Board after due consideration has decided to extend the timeline for submission of online applications by one month i.e. upto 31st July, 2023 for the session 2024 - 25 in SARAS 4.0 for all existing CBSE affiliated schools. The date will not be extended further.

The deadline for submission of applications for fresh affiliation for Secondary, Senior Secondary and Switch Over Category for the session 2024 – 25 shall remain 30.06.2023.

This issues with approval of the Competent Authority.

(S. DHARINI ARUN)  
Joint Secretary (Affiliation)

**Distribution:**

1. All Managers/ Principals of Independent category schools Affiliated to CBSE.
2. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18 Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110016.
3. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area, Sector 62, Noida 201307, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
4. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi 110054.
5. The Director of Public Instruction (Schools), Union Territory Secretariat, Sector 09, Chandigarh 160017.
6. The Director of Education, Govt. of Sikkim, Gangtok, Sikkim 737101.
7. The Director of School Education, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar 791111.
8. The Director of Education, Govt. of A& N Islands, Port Blair 744101.
9. All Education Secretaries of States/ UTs.
10. Deputy Secretary to the Chairman, CBSE for kind information to the Chairman.
11. CVO / All HODs of CBSE.
12. The Joint Secretary (A & L), CBSE.
13. All the Regional Directors/ Regional Officers/ COE Heads of CBSE with the request to disseminate the information further.
14. The Under Secretary (IT), CBSE, Preet Vihar, Delhi-92 - with request to upload the Circular in the main page as well as in the SARAS Portal for information to all stake holders.

Joint Secretary (Affiliation)



संख्या: सीबीएसई/सम्बद्धता/परिपत्र/76030/2023

दिनांक: 23.06.2023

परिपत्र क्रमांक 19/2023

### परिपत्र

सेवा में,  
विद्यालयों के सभी प्रमुख एवं प्रबंधक

**विषय: सरस 4.0 में सत्र 2024-25 के लिए संबद्धता की विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदन जमा किये जाने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड ने SARAS 4.0 पोर्टल में सत्र 2024 - 25 के लिए संबद्धता की विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदन जमा करने के संबंध में परिपत्र संख्या 17/2023 दिनांक 28.04.2023 जारी किया था।

इस संबंध में, बोर्ड ने उचित विचार के बाद सभी मौजूदा सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के लिए SARAS 4.0 में सत्र 2024 - 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समयसीमा एक महीने यानी 31 जुलाई, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

सत्र 2024-25 के लिए माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक और स्विच ओवर श्रेणी के लिए नई संबद्धता के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.06.2023 ही रहेगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस. धारिणी अरुण

(एस. धारिणी अरुण)  
संयुक्त सचिव (संबद्धता)

वितरण:

1. सीबीएसई से संबद्ध स्वतंत्र श्रेणी के स्कूलों के सभी प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
2. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110016।
3. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054।
5. सार्वजनिक निर्देश निदेशक (स्कूल), केंद्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 09, चंडीगढ़ 160017।
6. शिक्षा निदेशक, भारत सरकार। सिक्किम, गंगटोक, सिक्किम 737101।



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
( शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन )  
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION  
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



7. स्कूल शिक्षा निदेशक, भारत सरकार। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर 791111।
8. शिक्षा निदेशक, भारत सरकार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर 744101।
9. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सभी शिक्षा सचिव।
10. अध्यक्ष के उप सचिव, सीबीएसई अध्यक्ष को सूचनार्थ।
11. सीवीओ/सीबीएसई के सभी विभागाध्यक्ष।
12. संयुक्त सचिव (ए एवं एल), सीबीएसई।
13. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों/सीओई प्रमुखों को सूचना को और अधिक प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
14. अवर सचिव (आईटी), सीबीएसई, प्रीत विहार, दिल्ली-92 - सभी हितधारकों की जानकारी के लिए परिपत्र को मुख्य पृष्ठ के साथ-साथ सरस पोर्टल पर भी अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

डॉ. धारिणी अरुण

संयुक्त सचिव (संबद्धता)